ई-पत्रावली संख्या-1801421

संख्या-07/2024/550/52-1-2024

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 2024

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता पर पूर्ण की जाने वाली परियोजनाओं की कार्ययोजना के आलोक में निर्माणाधीन परियोजनाओं के सापेक्ष प्राथमिकता पर पूर्ण हो सकने वाली परियोजनाओं की अवशेष धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) एस0एन0ए0 से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1341/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग (330/4) दिनांक 25.06.2024 एवं पत्र सं0-907/अ0सं0क0नि0/ पी0एम0जे0 वी0के0/ धन0मांग (330/5) दिनांक 07.06.2024, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 खाते से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्सम्बन्धी वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-13/49/2021-एम0एस0डी0पी0-मोमा0(1) दिनांक 13.03.2024 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की अवशेष **केन्द्रांश की धनराशि रू. 3421.2930 लाख (रूपये चौतीस करोड़ इक्कीस लाख उन्तीस हजार तीन सौ मात्र) एवं अवशेष राज्यांश की धनराशि रू. 2297.8430 लाख (रूपये बाईस करोड़ सत्तान्नबे लाख चौरासी हजार तीन सौ**

http://shasanadesh.up.gov.in

मात्र) अर्थात कुल रू. 5719.1360 लाख (रूपये सत्तावन करोड़ उन्नीस लाख तेरह हजार छः सौ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न विवरणानुसार एस0एन0ए0 पूल फण्ड से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत वर्ष	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	किस्त	अनुमोदित लागत	परियोजना हेतु अब तक निर्गत कुल धन0 (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि		
								के0	रा0	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बरेली	2019-20	बरेली हेड क्वार्टर में राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	1	11319.0000	9518.7600	1080.1440	637.2670	1717.4110
2	कानपुर नगर	2018-19	कानपुर (सी0बी0) में वर्किंग वूमेन हास्टल का निर्माण	उ0प्र वक्फ विकास निगम	1	250.0000	125.0000	75.0000	50.0000	125.0000
3	अमेठी	2017-18	विकास खण्ड जगदीशपुर के ग्राम कठोरा में सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	70.2000	42.1200	28.0800	70.2000
4	उन्नाव	2017-18	नगर पालिका परिषद उन्नाव के ग्राम गदनखेड़ा में सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	70.2000	42.1200	28.0800	70.2000
5	गोण्डा	2019-20	बभनजोत में सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	1	234.0000	140.4000	56.1600	3744.00	93.6000
6	बुलन्दशहर	2017-18	विकास खण्ड-गुलावटी के बराल में सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	70.2000	42.1200	28.0800	70.2000
7	मऊ	2019-20	नगर पालिका परिषद में सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	70.2000	42.1200	28.0800	70.2000
8	महोबा	2017-18	महोबा के गनेशपुर में सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	70.2000	42.1200	28.0800	70.2000
9	हापुड़	2017-18	विकास खण्ड हापुड़ के देहरा में सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	70.2000	42.1200	28.0800	70.2000
10	बरेली	2019-20	वि0ख0 बिथरी चैनपुर में कॉमन	उ0प्र वक्फ विकास निगम	1	140.0000	42.0000	25.2000	16.8000	42.0000

http://shasanadesh.up.gov.in

			सर्विस सेन्टर का निर्माण							
11	रामपुर	2019-20	कामन सर्विस सेन्टर चमरौआ	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	1	140.0000	84.0000	33.6000	22.4000	56.0000
12	रामपुर	2019-20	कामन सर्विस सेन्टर मिलक	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	1	140.0000	84.0000	33.6000	22.4000	56.0000
13	प्रतापगढ़	2018-19	शिवगढ में रा0इ0 कालेज का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	418.1100	209.0500	125.4360	83.6240	209.0600
14	रामपुर	2019-20	राजकीय इण्टर कालेज मिलक	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	1	482.7000	241.3500	144.8100	96.5400	241.3500
15	रामपुर	2019-20	राजकीय इण्टर कालेज मिलक	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	1	482.7000	241.3500	144.8100	96.5400	241.3500
16	सन्तकबीर नगर	2018-19	वि0ख0 बघौली में नर्सिग कालेज का निर्माण	उ0प्र वक्फ विकास निगम	1	1150.3200	575.1600	345.0960	230.0640	575.1600
17	सिद्धार्थ नगर	2017-18	विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम मुड़िया मे सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	140.4000	56.1600	37.4400	93.6000
18	अमेठी	2020-21	वि0ख0 जगदीशपुर के रा0इ0का0 में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	1	13.2000	6.6000	3.9600	2.6400	6.6000
19	बस्ती	2021-22	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बस्ती में 08 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	1	119.3500	59.6750	35.8050	23.8700	59.6750
20	अम्बेडकर नगर	2017-18	वि0ख0 टाण्डा के ग्रा0 सकरावल में स्वीकृत सद्भाव मण्डप का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	234.0000	140.4000	56.1600	37.4400	93.6000
21	गाजिया बाद	2018-19	लोनी (एन0पी0पी0) के धरोटी खुर्द में बालिका डिग्री कालेज का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	1	942.0000	471.0000	282.6000	188.4000	471.0000
22	शामली	2018-19	ऊन के ओदरी (पेलखा) में बालिका डिग्री कालेज का	उ0प्र0 राज्य निर्माण	1	942.0000	471.0000	282.6000	188.4000	471.0000

http://shasanadesh.up.gov.in

			निर्माण	सहकारी संघ लि0						
23	बलराम पुर	2018-19	वि0ख0 बलरामपुर मे एग्री कल्चर मार्केट शेड का निर्माण	उ0प्र वक्फ विकास निगम	1	90.6500	45.3300	27.1920	18.1280	45.3200
24	सन्त रविदास नगर	2018-19	भदोही के जद्दुपुर में पाईप पेयजल योजना	उ0प्र0 जल निगम लि0	1	199.2900	99.6450	49.8225	49.8225	99.6450
25	सन्त रविदास नगर	2018-19	भदोही के अर्जुनपुर में पाईप पेयजल योजना	उ0प्र0 जल निगम लि0	1	132.3100	66.1550	33.0775	33.0775	66.1550
26	सन्त रविदास नगर	2018-19	भदोही के औराई के माधौपुर में पाईप पेयजल योजना	उ0प्र0 जल निगम लि0	1	225.6500	112.8250	56.4125	56.4125	112.8250
27	सम्भल	2017-18	विकास खण्ड-सम्भल के सलारपुर कला में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम लि0	1	390.6400	195.3150	97.6575	97.6575	195.3150
28	सम्भल	2017-18	विकास खण्ड-असमौकली के शहबाजपुर कला में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम लि0	1	493.0900	246.5400	123.2700	103.0000	226.2700
योग					**28**			**3421.2930**	**2297.8430**	**5719.1360**

3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- उक्त धनराशि राज्य सरकार के एस0एन0ए0 में अन्तरित/आहरित कर व्यय किये जाने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(2)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(4)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(5)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(11) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(12) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(13)- पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(16) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(19) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(20) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(22) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(23) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(24) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(25) अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(26) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(27) उक्त तालिका में अंकित विभिन्न जनपदों में संचालित परियोजनाओं में से कुछ जनपदों की अब तक निर्गत कुल धनराशि (के0+रा0) के सापेक्ष अब तक व्यय की गयी कुल धनराशि (के0+रा0) में अन्तर परिलक्षित हो रहा है। अत: निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 उक्त के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-550(1)/बावन-1-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in